

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट
(पीठासीन अधिकारी-अमनदीप सिंह छाबड़ा)

दा.प्रक. क्रमांक 882 / 2013

संस्थित दिनांक 07.10.2013

फा.नं.234503002432013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,

जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन।

विरुद्ध

नरगिस कुमार पिता कोपसिंह मरकाम, जाति गोंड, उम्र-19 साल,

निवासी ग्राम तरेगांव थाना बिरसा जिला बालाघाट।

.....अभियुक्त।

--:: निर्णय ::--::

दिनांक **23.10.2017** को घोषित:-

01. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181, 130(3)/177 के अंतर्गत अपराध किये जाने का आरोप है कि उसने दिनांक 29.09.2013 को 08:00 बजे ग्राम जगला कार्तिक धुर्वे के घर के सामने रोड पर थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.जी.2857 एवं चेचिस नंबर एम. बी.एल.एच.ए10ए.एस.सी.एच.जे.15620 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, आहत झामसिंह धुर्वे को चोट पहुँचाकर उपहति कारित किया, उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस के चलाया तथा उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन व बीमा आदि दस्तावेज पेश नहीं किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 29.03.2013 को सुबह करीब 8:00 बजे वह अपनी पुरानी झोपड़ी से मेन रोड होकर अपने नये मकान पर जा रहा था, तभी गांव में सुनील यादव के घर के सामने मेन रोड पर उसे तरेगांव के कोपसिंह गोंड के लड़के ने काले रंग की मोटर सायकिल से उसे सामने से तेज लापरवाही और खतरनाक तरीके से मोटर सायकिल चलाकर टक्कर मार दिया, जिससे उसे दोनों घुटने, बांये हाथ के पंजे, कमर व दाहिने आंख के पास चोटें

आई। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-129/2013, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना के दौरान अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा-130(3)/177, 3/181, 5/180 का ईजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-धारा-279, 337 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181, 130(3)/177 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

- 1- क्या आरोपी ने दिनांक 29.09.2013 को 08:00 बजे ग्राम जगला कार्तिक धुर्वे के घर के सामने रोड पर थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.जी.2857 एवं चेचिस नंबर एम.बी.एल.एच.ए.10 ए.एस.सी.एच.जे.15620 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2- क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर आहत झामसिंह धुर्वे को चोट पहुँचाकर उपहति कारित किया ?
- 3- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना किसी वैध लायसेंस के चलाया ?
- 4- क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन व बीमा आदि दस्तावेज पेश नहीं किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष:-

नोट-सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05- साक्षी झामसिंह अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपी नरगिस को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पुरानी सुबह 7-8 बजे ग्राम जगला रोड की है। घटना दिनांक को वह रहने वाली अपनी पुरानी झोपड़ी से मेन रोड होकर अपने नये मकान पर अपने साईड से जा रहा था, तभी आरोपी सामने से मोटर सायकिल को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और उसके साईड में आकर उसे टक्कर मार दिया। टक्कर लगने से वह गिर गया था और बेहोश हो गया था। फिर उसने घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन थाना बिरसा में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा में हुआ था। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06- साक्षी झामसिंह अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि गाड़ी का नंबर उसे नहीं मालूम। साक्षी के अनुसार गाड़ी का नंबर नहीं था। यह अस्वीकार किया कि उसे गिरने के बाद लोगों ने आरोपी के बारे में बताया था। साक्षी के अनुसार उसने स्वयं आरोपी को देखा था। पुलिस को उसने घटनास्थल बताया था। यह स्वीकार किया कि सुशील यादव, सोना मेडम का घर घटनास्थल के आसपास है और आसपास के लोगों ने घटना देखी है। साक्षी के अनुसार हिम्मत सिंह ने देखा है। यह अस्वीकार किया कि घटना होते हुए किसी ने नहीं देखा तथा उसे किसी ने टक्कर नहीं मारा था। वह अपने काम से सायकिल पर सवार होकर जा रहा था। यह अस्वीकार किया कि वह सड़क के बीच में गिरा था तथा वह स्वयं पत्थर से टकराकर गिरा था, किन्तु यह स्वीकार किया कि यदि दो वाहन टकराते हैं तो दोनों वाहन गिर जाते हैं और दोनों को चोटें आती हैं। वह डॉक्टर के पास पहुँचकर आरोपी का नाम बताया था। यह

स्वीकार किया कि वह 24 घंटे तक अपने घर पर था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि गांववालों के कहने पर उसने रिपोर्ट की थी तथा वह स्वयं की गलती से गिर गया था।

07— साक्षी हेमलाल सूर्यवंशी अ.सा.03 का कथन है कि वह आरोपी एवं आहत ज़ामसिंह को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष सुबह लगभग 8-9 बजे ग्राम जगला में सुशील यादव के मकान के पास की है। घटना के समय जब वह दुकान की ओर जा रहा था, तो आरोपी नरगिस ग्राम तरेगांव की ओर से मोटर सायकिल से आया हुआ था। आरोपी नरगिस अपनी मोटर सायकिल सहित एवं ज़ामसिंह रोड पर गिरे पड़े थे। दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों अपनी साईड में थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कोई बयान नहीं लिये। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि घटना दिनांक को जब आहत ज़ामसिंह, सुशील यादव के घर के पास पहुंचा, उसी समय तरेगांव का कोपसिंह का लड़का नरगिस अपनी मोटर सायकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया और ज़ामसिंह को टक्कर मार दिया, उसके समक्ष टक्कर लगने से आहत ज़ामसिंह रोड के किनारे गिर गया था। साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि आहत ज़ामसिंह के दाहिने आंख के पास चोट आई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि आरोपी की मोटर सायकिल में आगे-पीछे नंबर लेख नहीं था तथा आरोपी को ठीक से गाड़ी चलाते नहीं आती थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर रोड पर्याप्त चौड़ी थी, घटनास्थल पर रोड लगभग 10 फीट की थी, एक पैदल जाने वाले व्यक्ति को एक फीट से भी कम जगह लगती है, 09 फीट की जगह शेष रहने के बाद भी पैदल चलने वाले व्यक्ति को मोटर सायकिल का चालक टक्कर मारता है तो चालक की ही असावधानी मानी जाती है, आहत ज़ामसिंह घटना के समय कोई नशा-पानी नहीं किया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही से हुई थी। यह स्वीकार किया कि यदि चालक के पास मोटर सायकिल चलाने

का लायसेंस न हो तो उसे मोटर सायकिल चलाने में सक्षम नहीं माना जा सकता।

08— साक्षी हेमलाल सूर्यवंशी अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक को नरगिस झामसिंह के पास पैसे मांगने के लिए आ रहा था, वाली बात उसे आहत झामसिंह ने बताई थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटना के समय वह स्वयं उपस्थित नहीं था, इसलिये वह यह नहीं बता सकता कि आहत झामसिंह मोटर सायकिल के सामने आ गया था तथा उसने घटना के समय टक्कर होते हुए नहीं देखा था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि आहत झामसिंह को कैसे चोट आई थी। साक्षी के अनुसार झामसिंह ने मोटर सायकिल से चोट लगने वाली बात बताई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने घटना के संबंध में पुलिस को बयान नहीं दिया था।

09— साक्षी सोनेश्वर राणा अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। घटना कब की है, उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसने पुलिस को बयान दिया था।

10— डॉ० एम. मेश्राम अ.सा.05 का कथन है कि वह दिनांक 30.07.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक विजय क्रमांक 521 द्वारा आहत झामसिंह को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर आहत को निम्न चोटें पाया था, जो कि बांये घुटने पर एक खरोंच, दाहिने घुटने पर एक खरोंच, दाहिनी हथेली पर एक खरोंच तथा दाहिनी भों के बाहर की ओर एक खरोंच होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें किसी कड़े व खुरदुरे वस्तु द्वारा आना प्रतीत होती थी तथा सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण के 24 से 36 घण्टे पूर्व की थी, जिन्हें ठीक होने में पांच से सात दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि यदि खुरदुरी एवं कठोर सतह पर कोई व्यक्ति गिर जाये तो ऐसी चोट आ सकती है, किन्तु यह अस्वीकार किया

कि उसके पास पहुंचने के पूर्व आहत का घरेलू उपचार हो चुका था। साक्षी की साक्ष्य से घटना के समय परिवादी ज़ामसिंह को चोटें आने के तथ्य की पुष्टि होती है।

11— साक्षी देवीलाल अ.सा.04 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब चार-पांच साल पूर्व की है। पुलिसवालों ने उसके समक्ष नरगिस कुमार मरकाम से काले रंग की मोटरसाईकिल स्थान बिरसा में जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी03 बनाये थे, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी नरगिस कुमार को गिरफ्तार कर थाना ले गयी थी, जो गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि वह पुलिस थाना आता-जाता रहता है। यह कहना सही है कि उसने पुलिस के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी के अनुसार पुलिसवालों ने उसे बताया था कि इसे गिरफ्तार कर रहे हैं। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसे किन कागजों पर किस कारण दस्तखत करवाये थे याद नहीं है, उसे मुचलके पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था, उसने उक्त दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था और ना ही उसे पुलिस ने पढ़कर बताया था, उस समय सरपंच होलसिंह धुर्वे था और वह उसके साथ था तथा इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति उसके साथ वहां पर था किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने कोरे कागजों पर दस्तखत किये थे।

12— साक्षी पलटनसिंह अ.सा.07 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी नरगिस कुमार से एक काले रंग की मोटर सायकिल स्पलेण्डर प्रो. चेचिस नम्बर एम.बी.एल.एच.ए.10ए.एस.सी.एच.जे. 15620 तथा इंजन नम्बर एच.ए.10ई.सी.सी.एच.जे.16526 मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

फा.नं.234503002432013

13— साक्षी राजेशधर अ.सा.06 का कथन है कि वह दिनांक 30.09.13 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्र 129/13 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.दं०सं० एवं धारा 184 मो.या. अधि. की केस डायरी प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल पर जाकर आहत जामसिंह की निशांदाही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी नरगिस कुमार से उसके द्वारा गवाह देवीलाल तथा पलटनसिंह के समक्ष एक काले रंग की मोटरसाइकिल चैचिस नम्बर एम.बी.एल.एच.ए.10ए.एस.सी.एच.जे.15620 तथा इंजन नम्बर एच.ए.10सी.सी.एच.जे.16526 एवं बीमा दिनांक 12.12.2012 से 11.12.2013 तक जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी नरगिस कुमार को गवाह केशवदास और देवीसिंह के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था, जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक 01.10.13 को आहत जामसिंह तथा साक्षी सोनेश्वर, हेमलाल, रेवाबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उसके द्वारा वाहन मालिक कोपसिंह को मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.जी.-2857 के संबंध में धारा-133 मो.या.अधि. का नोटिस दिया गया था, जो प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसका जवाब वाहन मालिक द्वारा नोटिस के पृष्ठ भाग पर दिया गया था, जो प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर वाहन मालिक कोपसिंह के हस्ताक्षर हैं। आरोपी के पास लाईसेंस न होने से उसके विरुद्ध धारा-3/181 तथा वाहन मालिक के विरुद्ध धारा-5/180 तथा मौके पर दस्तावेज पेश न करने पर धारा-130(3)/177 मो.या. अधि. का ईजाफा किया गया था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय को प्रेषित किया गया था।

14— साक्षी राजेशधर अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि मौके पर उपस्थित रहने हेतु उसके द्वारा गवाह एवं प्रार्थी को नोटिस नहीं दिया गया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि कार्तिक राम के मकान एवं सड़क के बीच दो-तीन मकान और हैं, उसके द्वारा

गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार नहीं बल्कि अपने मन से पुलिस थाना में बैठकर तैयार किया था, उसने जप्ती के समय गवाहों को यह नहीं बताया था किन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये हैं, साक्षी देवीलाल, पलटन एवं हेमलाल थाने में आते रहते हैं, उसने गिरफ्तारी के समय गवाहों को आरोपी को गिरफ्तार करने की सूचना नहीं दी थी, उसने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद संपत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया था तथा उसने प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही अपने मन से तैयार कर लिया था।

15— प्रकरण में परिवादी झामसिंह अ.सा.02 की साक्ष्य ही अभियोजन के लिए उपलब्ध है, क्योंकि अन्य साक्षी हेमलाल अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना नहीं देखी थी। घटना का अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त परिवादी झामसिंह अ.सा.02 ने अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में आरोपी द्वारा उसकी साईड में आकर तेज गति एवं लापरवाही से टक्कर मारने के कथन किये हैं। मौका-नक्शा प्र.पी.02 से घटनास्थल सड़क किनारे होने की पुष्टि होती है। परिवादी के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से होती है। विवेचना अधिकारी की साक्ष्य भी विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है, जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपी पर यह भार आ जाता है कि वह दर्शित करे कि उसके द्वारा घटना कारित नहीं की गई अथवा घटना में उसकी कोई गलती नहीं थी, परंतु तत्संबंध में आरोपी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। सड़क किनारे चल रहे व्यक्ति को विपरीत दिशा में जाकर टक्कर मारने से आरोपी के उतावलेपन तथा उपेक्षा का निष्कर्ष सहज ही दिया जा सकता है। जिससे यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, आहत झामसिंह धुर्वे को चोट पहुँचाकर उपहति कारित किया।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 03 एवं 04 का निष्कर्ष :-

16— साक्षी राजेशधर अ.सा.06 के अनुसार विवेचना के दौरान आरोपी के पास लाईसेंस न होने से उसके विरुद्ध धारा-3/181 एवं मौके पर दस्तावेज पेश नहीं करने पर धारा-130(3)/177 मो.या. अधि. का ईजाफा किया गया था। पूर्व विवेचना से घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन सिद्ध है।

अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये है कि घटना के समय उसके पास वाहन चलाने का लायसेंस था और उसके द्वारा मौके पर दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। दुर्घटना के समय वैध अनुज्ञप्ति तथा दस्तावेज होने के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया तथा मौके पर दस्तावेज पेश नहीं किये गये।

17— फलतः अभियुक्त नरगिस को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 130(3)/177 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

18— अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उसके विरुद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है। अभियुक्त नरगिस द्वारा कारित दोनों अपराध एक ही संव्यवहार में किये गये हैं, जिस हेतु पृथक-पृथक दंड की प्रणीति न्यायिक प्रतीत नहीं होती। फलतः उसे केवल गुरुत्तर अपराध के लिए दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

19— अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त नरगिस को धारा-337 भा.द.सं. में दोषी पाकर 500/—(पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 130(3)/177 के अपराध के लिए क्रमशः 500/—(पांच सौ) रुपये, 100/—(एक सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

- 20—** अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि 1,100 /— रुपये आहत झामसिंह धुर्वे को धारा-357(1)(बी) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अपील अवधि पश्चात एवं अपील ना होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 21—** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 22—** प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम. जी.2857 एवं चेचिस नंबर एम.बी.एल.एच.ए.10ए.एस.सी.एच.जे.15620 वाहन मालिक की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
- 23—** अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।
- 24—** अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)